



#### To.

The Listing Department, BSE Limited,

P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

Scrip ID – AAYUSH, Scrip Code – 539528 The Listing Department
Metropolitan Stock Exchange of India Limited,

Vibgyor Towers, 4<sup>th</sup> flr., Plot No.C 62, G-Block, Opp. Trident Hotel, BKC, Bandra (E), Mumbai – 400 098

Symbol – AAYUSH, Series – EQ

Dear Sir/Madam,

#### Subject: Newspaper Advertisement for Postal Ballot Notice.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, Notice of the Postal Ballot for various business transactions as approved by board of directors for which shareholders approval are further required is published in the following newspapers:

- 1. English Newspaper with nation-wide circulation.
- 2. Hindi Newspaper with Regional circulation.

You are requested to take the above cited information on your records.

Thanking You,

### For Aayush Wellness Limited

(Formerly known as Aayush Food and Herbs Limited)

Naveenakumar Kunjaru Managing Director DIN: 07087891

Date: June 22, 2024 | Place: Mumbai

**FINANCIAL EXPRESS** 

## SINGER

## SINGER INDIA LIMITED

(CIN: L52109DL1977PLC025405) Regd. Office & Head Office: A-26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi-110044 Tel: +91-11-40617777, Toll Free No. 1800-103-3474

E-mail: secretarial@singerindia.com, mail@singerindia.com, Website: www.singerindia.com NOTICE OF 46th ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION REGARDING ELECTRONIC VOTING

Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the Singer India Limited ('Company') is scheduled to be held on Wednesday, 17th July, 2024 at 01:30 P.M.(IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with the all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') rules made thereunder, Securities and Exchange Boord of Indio (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') read with General Circular number 14/2020, 17/2020, 20/2020, 2/2022, 10/2022, 09/2023 and all relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9. 2020, Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and other relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as 'SEBI Circulars'), which permitted to hold AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at the common venue. A detailed instruction for joining the AGM through VC/OAVM is given in the Notice of the AGM.

In compliance with the provisions of the Act, SEBI Listing Regulations, MCA Circulars & SEBI Circulars, the Notice of 46th AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 have been sent on 21st June, 2024, through electronic mode, to those Members of the Company whose email IDs are registered with the Company/ its Registrar and Share Transfer Agent or Depository Participant(s) ("Depository"). The aforesaid Notice of 46th AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 are also available and can be downloaded from Company's website at www.singerindia.com on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting facility prior to AGM and facility of e-voting system during the AGM to all the eligible Members of the Company to cast their votes on a resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote e-voting and e-voting system (collectively referred as "electronic voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide the electronic voting facility.

The Board of Directors of the Company has appointed M/s. Varuna Mittal & Associates, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer to scrutinize the voting process electronically or otherwise for remote e-Voting and e-Voting at the AGM in a fair and transparent manner. The results of the electronic votingon the resolutions set out in the Notice of the AGM along with Scrutinizer's Report will be declared within the permissible time under applicable law. The results and Scrutinizer's Report will also be displayed on the website of the Company i.e. www.singerindia.com, website of Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com and at the registered of the Company. The details as required pursuant to the Act and Rules are a under:

The remote e-voting shall commence on Sunday, July 14, 2024, at 09:00 A.M. (IST) and ends on Tuesday, July 16, 2024, at 05:00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. July 10, 2024, shall be entitled to avail the facility of electronic voting. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 10, 2024. Any person who has acquired shares and become members of the Company after dispatch of Notice of AGM and holds share(s) as on the cutoff date, can also cast vote through electronic voting. The detailed procedure for obtaining login details is provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website www.singerindia.com.

Those Members who are present at the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their votes on the resolutions via remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be allowed to cast their vote again at the AGM. A person who isnot a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

Members who have not registered their email ID may get the same registered updated with Company / RTA or Depository to cast their vote (s) through remote e-voting before the AGM or through e-voting during the AGM. The manner of the registering email addresses of those Members whose email addresses are not registered with Company/Depository is provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website www.singerindia.com In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on .: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms Palavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in. By the order of the Board

For SINGER INDIA LIMITED Rupinder Kaur

Date: 21st June, 2024

📚 vedanta

Place: New Delhi

Company Secretary

CIN: L13209MH1965PLC291394

VEDANTA LIMITED

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093 Phone No. +91-22 6643 4500 Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; email id: comp.sect@vedanta.co.in

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof:

S.	Name of Shareholder(s)	Folio No.	Shares	Distinctive Numbers		Certificate No.
No.	Name of Shareholder(3)	1 0110 140.	Silaies	From	То	Certificate No.
1	Mrs. Rekhaben H Kanakiya	SGL114617	800	868052668	868053467	836945
	Mrs. Sarojben M Kanakiya	3GL114017	000	000032000	000033407	030943
2	Hanumanth Gopal Gaonkar	SGL105492	800	867780508	867781307	836458
	Venktesh Chandru Gaonkar	3GL103492	000	007700300		
3	Shreematiben H Shah	SGL118409	GL118409 100	863802024	863802123	828316
3	Himatlal C Shah					
4	M/s Tracon International	T001558	1,400	381505501	381506200	813987
Ľ.	Limited			775125701	775126400	
5	B Mukesh	B005708	560	391772471	391772750	819719
L	D Widkesii			785392671	785392950	
	Mrs. Hemu Hansraj			-		
6	Kapadia	SGL113247 400	400	864515560	864515959	830325
$\perp$	Mr. Bakul Hansraj Kapadia					
7	Mr. Vasant Janardan Madan V002599	3,600	386408711	386410510	816881	
	Wii. Vasaiit vailaidaii Wadaii	V002000	0,000	780028911	780030710	010001

Place: New Delhi Date: June 22, 2024

Prerna Halwasiya Company Secretary & Compliance Officer

For Vedanta Limited

## **AUTOMOTIVE AXLES LIMITED**

(IATF 16949 : 2016 Company) CIN: L51909KA1981PLC004198

Regd. Office: Hootagalli Industrial Area, Off Hunsur Road, Mysuru, Karnataka – 570 018 Email: sec@autoaxle.com Website: www.autoaxle.com

## NOTICE

NOTICE is hereby given that in compliance with the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules") and section 124(6) of the Companies Act, 2013 the Company is mandated to transfer all such shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Notice is further given that in accordance with the provisions of the Rule, individual notice has been

sent to the respective shareholders at their latest available address in the Companies/Registrar and Share Transfer (RTA) records, inter alia providing the details of shares being transferred to IEPF and the list of such shareholders is also displayed on the website of the Company at www.autoaxle.com.

The Concerned shareholders are requested to claim the unpaid/unclaimed dividend amount(s) on or before September 21, 2024, for the F.Y 2016-17 and onwards failing which such shares shall be transferred to IEPF. The shareholders may note that upon such transfer, both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by those shareholders from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the "Rules"

For further information to claim the unpaid/unclaimed dividend(s) the concerned shareholders may contact the RTA of the company:

Mr. Harish, K, Chief Manager

Integrated Registry Management Services Private Limited No.30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleshwaram, Bengaluru - 560 003 Phone: +91 8023460815-818 Fax: +91 8023460819

Email id: irg@integratedindia.in

Date: 21st June, 2024

Debadas Panda Place: Mysuru Nodal Officer & Company Secretary





For Automotive Axles Limited

# **AAYUSH WELLNESS LIMITED**

(Formerly known as Aayush Food & Herbs Limited) CIN: L01122DL1984PLC018307 Read. Off.:55, 2<sup>nd</sup> Flr., Lane 2, Westend Marg, Saidullajab, Near Saket Metro

Station. Gadaipur. Southwest Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110030 Phone: +91 84486 93031 | Email:cs@aayushfood.com Web: www.aayush.health **POSTAL BALLOT NOTICE** 

**NOTICE** is hereby given that the Company is seeking approval of its members by way of postal ballot in respect of the following business matters: Sub-division/split of the equity shares and consequent amendment to the capital

- clause of the memorandum of association.
- Increase in Authorized share capital and consequent amendment to the capital clause of the memorandum of association.

future group companies including subsidiary company (ies), holding company and/

- Approval of implementation of the AWL ESOP 2024. Approval for the extension of benefits of the AWL - ESOP 2024 to the employees of
- Adoption of new set of Articles of Association of the company in accordance with Companies Act, 2013. a) In this regard all the members are hereby informed that the Company has set out notice to its members for aforesaid resolutions to be transacted through postal ballot
- by voting through remote e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) or by Postal Ballot Form. The Company has completed dispatch of the Postal Ballot Notice to the Members
- through permitted mode on June 21, 2024. The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting shall be
- Persons whose name is recorded in the register of beneficial owners maintained as
- on the cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of e-voting. The e-voting shall commence from June 24, 2024 (09:00 AM IST) and concludes on July 23, 2024 (05:00 PM IST). The remote E-voting module shall be disabled by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") thereafter.
- Postal Ballot Form received after July 23, 2024 (05:00 PM IST) will be strictly treated as if the reply from the member has not been received.
- Any person who acquires the shares and becomes the member of the company after the dispatch of the notice and hold shares as on the cut-off date i.e., June 14, 2024 may obtain login ID and password by sending request on www.evotingindia.com, to cast their vote electronically. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing User Id and password can be used to cast their vote.

The results declared along with scrutinizer report within the prescribed period shall be displayed on the Company's Website and also communicated to the stock exchange. Members are requested to note that in case you have any queries or issues regarding evoting, you may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no.: 1800 22 55 33 or send a request at www.evotingindia.com. By Order of the Board

Place: Mumbai

NOTICE FOR LOSS OF

SHARE CERTIFICATES

BHAGWANDAS CHHUTANI - (Deceased),

holding 800 share of Face Value Rs. 1/- in

United Breweries Limited having its registered

office at UB Tower, UB City, #24 Vittal Mallya

Road, Bengaluru, Karnataka, 560001 in Folio

UB036774 bearing Share Certificate Numbers

106598 with Distinctive Numbers from 2681321

hereby give notice that the said. Share

Certificate(s) are lost and I have applied to the

Company for issue of duplicate Share Certificates.

The public is hereby warned against purchasing or

dealing in anyway with the said Share Certificates.

The Company may issue duplicate Share

Certificates if no objection is received by the

Company within 30 days of the publication of this

Bhagwandas Veerumal Chhutani (Deceased)

Rajkumar Bhagwandas Chhutani (Legal Heir)

Folio No. UB036774

advertisement, after which no claim will be

entertained by the Company in that behalf.

Date: 22.06.2024

RAJKUMAR CHHUTANI LEGAL HEIR OF

Date: June 19, 2024

For Aayush Wellness Limited (Formerly known as Aayush Food & Herbs Limited)

Naveenakumar Kunjaru **Managing Director** DIN: 07087891

## HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED CIN: L15499TN1986PLC012747

Regd.office: No.41 (49), Janakiram Colony Main Road, Janakiram Colony, Arumbakkam, Chennai - 600 106, Tel: / Fax: 044 - 4796 1124

Corp.office: No.14, TNHB, TN Housing Board "A" Road, Sholinganallur, Chennai - 600 119. Tel: +91 44 2450 1622 / Fax: +91 44 -2450 1422 | Email: secretarial@hap.in | Website: www.hap.in

## NOTICE

SUB: Transfer of Unclaimed Dividends and Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund(IEPF).

This Notice is published pursuant to Rule 6(3)(a) of the Investor Education and Protection Fund Authority(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 (the Rules) read with Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (The ACT) notified by the Ministry of Corporate Affairs as amended from time to time.

The Rules interalia contain provisions for transfer of all the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the

shareholders for seven consecutive years or more to the DEMAT Account of Investor Education and Protection Fund Authority(herein after referred to as "Authority") In compliance with the requirements set out in the Rules, the Company shall send individual notices to the concerned shareholder(s) at

their latest available address as per the Company's/RTA's records, that, their shares and dividends unclaimed by them are liable to be transferred to the Authority under the said Rules within the stipulated time. The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to DEMAT account of the Authority on its

website at www.hap.in. The concerned shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the Authority may note

that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the Authority as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their names will stand automatically cancelled and be deemed non-negotible. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the DEMAT Account of the Authority by the due date as per procedure stipulated

In case the Company does not receive any communication from the concerned share holders by August 19, 2024 or such other date as may be extended, the Company shall with a view to complying with the requirements set out in the Rules, transfer the shares and unclaimed dividend to the Authority by the due date as per procedures stipulated in the Rules.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF including all the benefits accuring on such shares, if any, can be claimed back by them from Authority after following the procedure prescribed by the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's Share Transfer Agent at Integrated Registry Management Services Private Limited, No. 30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bangalore - 560 003 Tel: (080) 2346 0815 to 818 Fax: (080) 2346 0819 EMail ID: gopi@integratedindia.in.

For HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED

Place: Chennai Date: June 21, 2024.

G. Somasundaram Company Secretary & Compliance Officer.

#### Welspun LIVING (Formerly Welspun India Limited) CIN: L17110GJ1985PLC033271

Regd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat - 370110 Tel: +91 2836 661111 Fax: +91 2836 279010

Corp. Office: Welspun House, 6th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai, Maharashtra - 400013 Tel: +91 22 66136000, Fax: +91 22 24908020 E-mail: companysecretary\_wil@welspun.com; Web: www.welspunliving.com **POSTAL BALLOT NOTICE** 

Notice is hereby given under Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 &

22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 ("Listing Regulations") and other applicable laws and Regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), to the members of WELSPUN LIVING LIMITED (Formerly Welspun India Limited) (the "Company") that the Company is seeking approval/consent of its members through Postal Ballot/Electronic Voting ["e-Voting"] by way of special resolution for the business as set out in the Notice dated June 17, 2024:

- . The Company has completed the dispatch of Notice of Postal Ballot along with explanatory statement as on June 21, 2024 through e-mail to all the Members, whose names appear in the Register of Members as received from Depositories i.e. National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on Friday, June 14, 2024 in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and General Circulars Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 and General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs;
- E-Voting will commence at 9.00 a.m. on Saturday, June 22, 2024; . E-Voting will end at 5.00 p.m. on Sunday, July 21, 2024 and e-Voting will not be allowed
- beyond the said date and time;
- . As per General Circulars the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote by electronic means through e-voting services provided by NSDL and the business may be transacted through such e-voting instead of dispatching Postal
- The procedure of e-Voting is given in the Notes to the Notice of Postal Ballot. In case of any query regarding e-Voting you may also refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting manual available at https://www.evoting.nsdl.com or write an email to evoting@nsdl.co.in or call 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000;
- In case of any grievance connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to evoting@nsdl.co.in, (NSDL) National Securities Depository Limited, A Wing, 4th Floor, Trade House, Lower Parel (West), Mumbai - 400013 or call 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000; The Notice of the Postal Ballot along with the explanatory statement is also displayed
- on the website of the company at https://www.welspunliving.com/uploads/investor\_data/ investorreport\_8797.pdf and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com/ and on BSE Limited website on https://www.bseindia.com/ and on the National Stock Exchange of India Limited website on https://www.nseindia.com/. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Sunil Zore, Proprietor of M/s.
- SPZ & Associates, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the entire Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The result of the Postal Ballot will be declared on Monday, July 22, 2024 at the
- Corporate Office of the Company by the Chairman and in his absence by any Director of the Company or by the Company Secretary and will also be posted on the Company's website www.welspunliving.com, besides communicating the same to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the shares of the Company are listed. By order of the Board of Directors

**Shashikant Thorat Company Secretary** 

FCS - 6505

# MIRAE ASSE

Fake website link and Twitter account impersonating Mr. Swarup Mohanty, Vice Chairman and Chief Executive Officer of Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited It has been observed that two fake website links and a Twitter account is created impersonating

Mr. Swarup Mohanty, Vice Chairman and Chief Executive Officer of Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited appeared to be formed by the link - https://www.daaisy.com/, https://daaisi.com/ static/app/ and https://x.com/KyokoLiza92016 We would like to inform the public in general that Mirae Asset Mutual Fund and Mirae Asset Investment

Managers (India) Private Limited are in no way associated with this fake link / account and shall not be held liable for any losses whatsoever; and we condemn this act of defrauding investors. We advise the investors to not fall prey to these fake link / account and stay vigilant of such scams. We urge the investors to visit Mirae Asset Mutual Fund website https://www.miraeassetmf.co.in/ or

contact Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited officials for any information on our products and services. For and on behalf of the Board of Directors of MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD.

(Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

Date : June 21, 2024 **AUTHORISED SIGNATORY** MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India)

Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625). Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 2 1800 2090 777 (Toll free), Customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

#### **CORDS®** Cords Cable Industries Limited Registered Office: 94,1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, I. AHMED NAWAZ ALLADIN (PAN Near Okhla Industrial Area Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110020 Tel: 011-40551200 \* Fax: 011-20887232 \* E-mail: ccil@cordscable.com

ABQPA4334A), holding 4 shares of Face Value Rs. 100/- in Bosch Limited (formerly: Motor Industries Company Limited) having its registered office at Hosur Road, Adugodi, Bangalore 560030 in Folio A01240 bearing Share Certificate Numbers 10003751, 10003752, 10005160 and 10005161 with Distinctive Numbers from 1633340 - 1633340, 1633341 - 1633341, 2952621 - 2952621 and 2952622 - 2952622.

Place: Mumbai

against purchasing or dealing in anyway with the said Share Certificates. The Company may issue duplicate Share

entertained by the Company in that behalf. Place: Hyderabad Date : 22.06.2024 Folio No:A01240

hereby give notice that the said Share Certificate(s) are lost and I have applied to the Company for issue of duplicate Share Certificates and exchange of the same with Face Value Rs. 10/-certificate.The public is hereby warned

Certificates if no objection is received by the Company within 30 days of the publication of this advertisement, after which no claim will be AHMED NAWAZ ALLADIN

website: www.cordscable.com \* CIN: L74999DL1991PLC046092 Pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and

Company's Code for prevention of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the Securities of the Company shall remain closed from Monday, 01" July, 2024 for the Directors, Designated Employees, Insiders and their immediate relatives till 48 hours after the Un-audited Financial Results for the 1" quarter/ 3 months ended on 30" June, 2024 is Accordingly, all designated persons, Directors, promoters, persons acting in concert,

employees of the Company along with their respective immediate relatives, persons having contractual and fiduciary relation with the Company including but not limited to Auditors, accountancy firm, law firms, analysts, consultants, etc., assisting or advising the Company, shall not involve in any transaction for dealing/trading in the securities of the Company during the period when Trading Window is closed. By Order of Board of Directors

For Cords Cable Industries Limited

Garima Pant

Company Secretary

Date: June 21", 2024

Place: New Delhi

# "IMPORTANT"

Date: June 21, 2024

Place: Mumbai

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

## NOTICE

Notice-cum-Addendum to the Scheme Information Document ('SID') / Key Information Memorandum ('KIM') of Axis Quant Fund of Axis Mutual Fund ('the Fund')

Notice is hereby given to all the investors/unit holders that exit load for investment under Axis Quant Fund ('Scheme') is revised as under: **Existing Exit Load** Revised Exit Load (w.e.f. June 25, 2024)

If redeemed / switched-out within 12 months-For 10% of investment: Nil. For remaining investment: 1%,

If redeemed / switched out after 12 months from the date of allotment: Nil.

If redeemed / switched-out within 3 months from the date of allotment -For 10% of investment: Nil

If redeemed / switched out after 3 months from the date of allotment: Nil The above change in the load structure will be applicable on all prospective investments made on or after June 25, 2024 including all

special products offered under the above Scheme such as SIP, STP, switches etc. This addendum shall form an integral part of the SID & KIM of the above Scheme. All the other terms and conditions of the SID & KIM of the above Scheme remains unchanged.

For remaining investment: 1%,

For Axis Asset Management Company Limited (CIN - U65991MH2009PLC189558)

(Investment Manager to Axis Mutual Fund)

Gop Kumar Bhaskaran Managing Director & Chief Executive Officer

Statutory Details: Axis Mutual Fund has been established as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882, sponsored by Axis Bank Ltd. (liability restricted to ₹ 1 Lakh). Trustee: Axis Mutual Fund Trustee Limited Investment Manager: Axis Asset Management Company Limited (the AMC) Risk Factors: Axis Bank Ltd. is not liable or responsible for any loss or shortfall resulting from the operation of the schemes. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



One Lodha Place, 22<sup>nd</sup> & 23<sup>nd</sup> Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India. TEL: (022) 6649 6100, EMAIL: customerservice@axismf.com, WEBSITE: www.axismf.com.

financialexp.epapr.in

Place: Mumbai

Date: June 21, 2024

No.: 40/2024-2025

# केनरा बैंक-Canara Bank 📣

केनरा बैंक. परिसम्पत्ति वसली प्रबंध II शाखा, हौज खास, दिल्ली ईमेल: cb3038@canarabank.com

कब्जा सुचना

[प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत] जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत केनरा बैंक, परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध II शाखा, हौज खास, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 25.7.2023 जारी कर ऋणधारक **मै. अदरेश आउटफिट** (प्रॉप्राइटरशिप फर्म) द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री विजय कुमार, पुत्र श्री स्वामी नाथ जयसवाल तथा श्रीमती प्रेमा देवी, पत्नी श्री स्वामी नाथ जयसवाल तथा श्री बृजेश कुमार, पुत्र श्री सूर्यनाथ (यहां के बाद ''ऋणधारक, प्रॉप्साईटर, मार्टगैजर्स एवं गारंटर्स वर्णित'') को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि 30.6.2023 को रू. 53,63011.60 **( रु. तिड़ेपन लाख तिड़ेसठ हजार ग्यारह पैसे साठ मात्र** ) के साथ 1.7.2023 से आगे का ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सृचित किया जाता है कि आज 20 जून, 2024 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋगधारकों/गारंटरों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों

का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.6.2023 को रु. 53,63011.60 (रु. तिड़ेपन लाख तिड़ेसठ हजार ग्यारह पैसे साठ मात्र) के साथ 1.7.2023 से आगे का ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज तथा उस पर ब्याज के लिये **केनरा बैंक परिसम्पत्ति वसुली प्रबंध II शाखा हौज खास, दिल्ली** के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती प्रेमा देवी, पत्नी श्री स्वामीनाथ जयसवाल के स्वामित्व में 147/397, खेवत नं. 191, खतोनी नं. 267, एम नं. 18, किल्ला नं. 3/2(3-17), 4(8-0), 5(8-0), कित्ता-3 रकबा 19, कनाल-17 मरला- एरिया माप 80 वर्ग यार्ड्स, मौजा तिलपत, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा में शामिल (फ्रीहोल्ड मकान सं. 1519, एकता एन्क्लेव, सूरदास कॉलोनी, ग्राम तिलपत, फरीदाबाद, हरियाणा-121013)।

दक्षिणः प्लॉट नं. 43सी, चौहद्दी: उत्तरः खाली प्लॉट नं. 43बी,

पश्चिमः 12' चौड़ी गली पूर्वः प्लॉट नं. 46,

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक तिथि: 20.6.2024, स्थान फरीदाबाद



आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः डी-16, प्रथम तल, आईसीआईसीआई कंपनी के ऊपर, सेक्टर 14, प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085

अचल संपत्ति की बिक्री/नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना (प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित सरफैसी अधिनियम के तहत)

जबिक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'सरफैसी अधिनियम') के तहत आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (यहां बाद में ''कंपनी'' के रूप में संदर्भित) के अधिकृत प्राधिकारी ने और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानितयों से भूगतान की तिथि तक अनुबन्धदर पर भावी ब्याज एवं लागतों, प्रभारों एवं व्ययों आदि सहित सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की तिथिसे 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी की थी।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती के निर्दिष्ट अविध में उक्त राशि को चुकाने में विफल रहने पर, अधिकृत प्राधिकारी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भौतिक कब्जा कर लिया है जिसकी बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के तहत कम्पनी के बकायों की वसूली के लिए नीचे नीलामी अनुसूची के अनुसार निविदाएं/संविदाएं आमंत्रित करके ''जहाँ है जैसे है'', ''जो कुछ भी है वहीं है'' तथा "उपचार रहित आधार" पर की जायेगी:

युग्ध मा है यहाँ है तथा उपचार रहित जायार पर पंग गायगा :		
सम्पत्तियों का विवरण :		
संपत्ति संख्या 134 और 135 की छत के अधिकार के बिना पूरी पहली मंजिल, पॉकेट 04, सेक्टर 22, रोहिणी, दिल्ली-11008		
ज्ञात ऋण भार (यदि कोई हो)	उपलब्ध नहीं	
आरक्षित मूल्य (रुपये)	42,16,800/-	
जमा धरोहर राशि (रुपये में) प्रशांत विहार दिल्ली में देय 'आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डीडी पीओ के माध्यम से	4,21,680/-	
बोली वृद्धि राशि (गुणकों में)	50,000/-	
ईएमडी के साथ मुहरबंद प्रस्ताव /िनविदा के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान	25.07.2024, 5:30 बजे अप., डी-16, पहली मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशांत विहार सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085	
बोलियां खोलने की तिथि, समय और स्थान	27.07.2024, 5:30 बजे अप., डी-16, पहली मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशांत विहार सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085	
संपत्तियों का निरीक्षण	23.07.2024, दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक	
निविदा⁄बोली सह नीलामी फार्म की लागत	निल	
असफल बोलीदाताओं की ईएमडी की वापसी	निल	
सफल बोलीदाता के लिए स्वीकृत उच्चतम बोली के 25% के भुगतान की अंतिम तिथि (ईएमडी सहित)	निविदा खुलने की तिथि से 2 दिनों के बाद	
उच्चतम बोली के शेष 75% राशि के भुगतान की अंतिम तिथि	उसी दिन	

ऋण का विवरण		
कर्जदार ⁄ सह – कर्जदार ⁄ जमानती ⁄ बंधककर्ता का नाम एवं पता	श्री संजीव कुमार, श्रीमती रीना और श्री हरीश निवासी, संपत्ति संख्या 134-135 की पहली मंजिल, पॉकेट-4, सेक्टर-22, रोहिणी, उत्तर-पश्चिम, दिल्ली-110085	
सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि	06.06.2022	
सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की राशि (रु. में)	31.05.2022 तक रु. 38,93,093/- (रुपये अड़तीस लाख तिरानबे हजार तिरानबे मात्र)	
भौतिक कब्जे की तिथि	12.06.2024	
बकाया देय (रु. में)	55,58,000 तिथि 12.06.2024 तक	

नीलामी के नियम तथा शर्तें : संविदाकार को पूर्ण प्रस्ताव देना होगा।

- बोलीदाताओं को एक सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित विवरण के साथ बोली फॉर्म जमा करना होगा, (i) व्यक्तिगत बोलीदाता/बोलीदाता कंपनी/बोलीदाता फर्म/बोलीदाता संगठन का पूरा नाम और विवरण (ii) पैन कार्ड की प्रति (iii) सक्रिय मोबाइल नम्बर (iv) ईमेल पता और (v) पते का प्रमाण। संबंधित केवाईसी दस्तावेजों और ईएमडी के साथ प्रस्तावों को एक लिफाफे में रखा जाएगा जिसे सील किया जाना चाहिए और उस पर ''श्री **संजीव कुमार एवं अन्य के मामले में प्रतिभूत आस्तियों ⁄सम्पत्तियों की खरीद के लिए मैसर्स आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से प्रस्ताव**'' लिखना होगा और लिफाफे को सामान्य कार्य घंटों के दौरान प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय डी-16, पहली मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशांत विहार सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085 में रखे गए
- प्रत्येक निवदा/बोली/प्रस्ताव के साथ '**आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**' के पक्ष में दिल्ली में देय डी.डी./पे ऑर्डर के माध्यम से प्रस्ताव राशि के 10% की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) संलग्न करनी होगी। डी.डी./पी.ओ. निविदाकार/बोलीदाता की ओर से ही खरीदा
- जाना चाहिए। िनयत तारीख और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- निविदाकार/बोलीदाता को उक्त संपत्ति के हस्तांतरण या उपयोग के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 194 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार, यदि संपत्ति 50 लाख से ऊपर बेची जाती है तो खरीदार को सरकारी खजाने में उचित टीडीएस देना होगा और टीडीएस प्रमाण पत्र कंपनी में जमा करना होगा।
- सफल बोलीदाता को उसके पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने पर बोली राशि का 25% (बोली के साथ जमा की गई 10% ईएमडी सहित) तुरंत जमा करना होगा। भुगतान केवल दिल्ली में देय 'आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में आहरित कंपनी के चेक/डीडी के
- यदि सफल बोलीदाता बोली राशि का 25% जमा करने में विफल रहता है, तो बिना किसी सूचना के कंपनी द्वारा अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। सफल बोलीदाता कंपनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष बोली राशि जमा कर देगा। भुगतान में चूक के मामले में, इस प्रकार जमा की गई पूरी राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी। ऐसे मामले में सफल बोलीदाता का संपत्ति के संबंध में या उस राशि के किसी भी हिस्से पर कोई दावा नहीं होगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। कंपनी के पास सरफैसी नियम, 2002 के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से संपत्ति को बेचने का अधिकार भी सुरक्षित है।
- सभी पात्र बोलीदाताओं को इंटर-से बोली लगाने की अनुमति है। बोलीदाता(ओं) के बीच इंटर-से बोली के माध्यम से अपने प्रस्तावों में सुधार कर सकते हैं। इंटर-से बोली उच्चतम बोली खोले जाने के समय शुरू होगी। बोलीदाता 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के तहत उल्लिखित राशियों के गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन उच्चतम बोली राशि जमा करने वाले और/या इंटर-से बोली ( आरक्षित मूल्य से कम नहीं) में विजयी बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और उक्त उच्चतम
- बोलीदाता को इस आशय की सूचना जारी की जाएगी। 10. किसी भी राशि के भुगतान में किसी भी चुक की स्थिति में, या यदि क्रेता/बोलीदाता की ओर से किसी भी चुक के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर बिक्री पूरा न होने की स्थिति में, कंपनी को क्रेता/बोलीदाता द्वारा तब तक भुगतान किए गए सभी धन और प्रतिभूत आस्ति(यों)/संपत्ति(यों) को जब्त करने और अपने पूर्ण विवेक से दुबारा बिक्री/निपटान के लिए रखने और साथ ही दूसरे उच्चतम बोलीदाता को पुनर्विक्रय/प्रस्ताव देने का अधिकार होगा। इसके अलावा, इस तरह के पुनर्विक्रय के कारण कंपनी द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों को चूककर्ता क्रेता द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। कंपनी के पास पूर्वोक्त समय सीमा को बढ़ाने और पूरी तरह से अपने विवेक पर और ऐसे नियमों और शर्तों को निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है।
- 11. निविदाएं/बोलियां कंपनी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर्जदारों, सह-कर्जदारों, गिरवीकर्ताओं (यदि उपलब्ध हो) और संभावित खरीदारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ, बातचीत के लिए, प्रस्ताव के बढ़ाने/संशोधित
- करने के लिए पूर्वोक्त दिन और समय पर उपस्थित रहने का विकल्प चुन सकते हैं। 12. बिक्री के लिए प्रस्तुत अचल संपत्ति(यों)/प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद/मतभेद केवल दिल्ली में
- न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। 13. आरक्षित मुल्य से नीचे की निवदाएं/बोली और/या उपयुक्त ईएमडी तथा अन्य सभी दस्तावेज, जैसा कि ऊपर खंड 2 में उल्लिखित है, के संलग्न न होने पर इसे अमान्य माना जाएगा। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेकाधिकार पर, ऐसी सभी या ऐसी किसी भी निविदा/बोली को वैध मानने का अधिकार सुरक्षित रखता है। असफल निविदाकारों/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि नीलामी की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। निविदाकार/बोलीदाता किसी भी कारण से ईएमडी की राशि में देरी होने पर किसी भी
- ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं होंगे। 14. कंपनी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, कोई अन्य ऋणभार नहीं है। संपत्ति कर आदि जैसे सांविधिक बकाया संभावित क्रेताओं द्वारा सनिश्चित किए जायेंगे।
- 15. प्रतिभूत आस्ति(यों)/संपत्ति(यों) को "जैसा है जहां है", "जो है यही है", "जो कुछ भी है वहीं है" और "आश्रय रहित" आधार पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी बिक्री के लिए प्रस्तावित प्रतिभूत आस्ति/अचल संपत्ति के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण के बकाया जल/सेवा शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, बिजली बकाया, बकाया राशि सिहत किसी भी देय/शुल्क के संबंध में कोई अनुमित/लाइसेंस आदि प्राप्त करने और/या कोई उक्त अचल प्रतिभत आस्ति/यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के परिप्रेक्ष्य में अन्य देय, कर, ऋणभार, यदि कोई हो.
- ı6. निविदाकारों/बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि निविदाएं/बोली जमा करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अपनी संतुष्टि के लिए वे अपने हित में अचल प्रतिभूत संपत्तियों से संबंधित अन्य विवरणों के शीर्षक और शुद्धता के साथ खुद को संतुष्ट करने के लिए अचल मुहरबंद आस्ति के आकार/क्षेत्र के साथ-साथ किसी भी अन्य बकाया/देयताओं/ऋणभारों की जानकारी प्राप्त कर लें। निविदा खोलने/नीलामी आयोजित करते समय इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। प्रस्ताव)/निविदा(एं) जिनका प्रस्ताव प्राधिकत अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, कोई परिवेदना/शिकायत नहीं उठाएंगे और अधिकृत अधिकारी द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद, आकार/क्षेत्र में विसंगति, स्वामित्व में दोष या किसी अन्य आधार पर प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निविदा/बोली के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद, ऐसे सफल क्रेता/उसके नामांकित व्यक्ति को अचल संपत्तियों/प्रतिभृत आस्तियों की बिक्री के सभी नियमों और शर्तों को बिना शर्त स्वीकार किया गया माना जाएगा और ऐसी अचल संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व, विवरण, माप आदि के बारे में सभी आपत्तियों को
- 17. सशर्त प्रस्तावों वाली निविदाएं/बोली अमान्य मानी जाएंगी। प्रस्तावों में किसी भी परिवर्तन के बारे में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई निवदाकार/बोलीदाता संबंधित विजापन में निवदाओं/बोलियों को जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले विज्ञापित प्रतिभृत आस्ति/अचल संपत्ति के लिए नया प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो वे पहले जमा किए गए प्रस्ताव के आहरण के अध्यधीन उपयक्त ईएमडी के साथ नई निविदा/बोली कर सकते हैं।
- 18. क्रेता को अपने नाम पर प्रतिभृत आस्ति/अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए सभी आवश्यक खर्च जैसे स्टांप शुल्क, पंजीकरण खर्च, हस्तांतरण शल्क और अन्य शल्क आदि का वहन करना होगा।
- 19. कंपनी बिना कोई कारण बताए उच्चतम, किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और यदि सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो या तो किसी भी निविदाकर्ता/बोलीदाताओं के साथ बातचीत करने या प्रतिभुत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति किसी भी निविदाकर्ता/बोलीदाता या किसी अन्य पार्टी/पार्टियों के साथ निजी बातचीत के माध्यम से बेचने का अधिकार सरक्षित रखती है। इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा।
- 20. कंपनी बोलीदाताओं/निवदाकारों को कोई अन्य नोटिस दिए बिना मामले के तथ्यों और परिस्थितयों के आलोक में आवश्यकतानुसार अपने विवेकाधिकार पर उपरोक्त शर्तों में से किसी में भी संशोधन/परिवर्द्धन/हटाने के लिए स्वतंत्र होगी और निविदाकारों/बोलीदाताओं को ऐसी संशोधित शर्तों को स्वीकार करने वाला माना जाएगा और तदनुसार वह इसे मानने के लिए बाध्य होगा।
- 21. कंपनी प्रतिभूत आस्तियों के परिप्रेक्ष्य में किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार के लिए स्वामित्व, संपत्ति कर या सरकार अथवा किसी अन्य निकाय के किसी अन्य बकायों में वास्तविकता/बाजार की क्षमता का पता लगाने जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगी।
- 22. यह बिक्री कम्पनी की पुष्टि के अध्यधीन है।
- 23. सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु इच्छूक संविदाकार कम्पनी के अधिकारी श्री किशन (मोबाइल 9958406782) से 12.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. तक कार्यालय घंटों के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं। बोलियां हस्तान्तरणीय नहीं हैं।
- तिथि : 22.06.2024, स्थान : दिल्ली, हस्ता/- (अधिकृत प्राधिकारी), आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पहले आयुष फूड एंड हर्ब्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सीआईएनः L01122DL1984PLC018307

आयुष वेलनेस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 55, द्वितीय तल, लेन 2, वेस्टेंड मार्ग, सैदुल्लाजाब, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास, गदाईपुर, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110030 फोनः +91 84486 93031 | ईमेलः cs@aayushfood.com

> वेबः www.aayush.health पोस्टल बैलट नोटिस

इसके द्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी निम्नलिखित व्यावसायिक मामलों के संबंध में डाक मतपत्र द्वारा अपने सदस्यों से अनुमोदन चाहती है:

- इक्विटी शेयरों का उप–विभाजनध्विभाजन तथा इसके परिणामस्वरूप एसोसिएशन के ज्ञापन के पुंजी खंड में संशोधन।
- अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि तथा इसके परिणामस्वरूप एसोसिएशन के ज्ञापन के पूंजी खंड में
- AWL ESOP 2024 के कार्यान्वयन को मंजूरी।
- सहायक कंपनी(यों), होल्डिंग कंपनी तथाध्या सहयोगी कंपनियों सहित प्यूचर ग्रुप कंपनियों के कर्मचारियों को AWL - ESOP 2024 के लाभों के विस्तार को मंजूरी।

• कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के नए लेखों को अपनाना।

- ए) इस संबंध में सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने अपने सदस्यों को उक्त प्रस्तावों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म या पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से मतदान करके पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित करने के लिए नोटिस जारी किया है।
- बी) कंपनी ने 21 जून, 2024 को अनुमत मोड के माध्यम से सदस्यों को पोस्टल बैलट नोटिस भेजना पुरा कर लिया है।
- सी) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि
- 14 जून, 2024 होगी। डी) जिन व्यक्तियों का नाम कट-ऑफ तिथि तक बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज
- है, केवल वे ही ई-वोटिंग की स्विधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। ई) ई-वोटिंग 24 जुन, 2024 (09:00 पूर्वाह्न आईएसटी ) से शुरू होगी और 23 जुलाई, 2024 (05:00 अपराह आईएसटी ) को समाप्त होगी। इसके बाद सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया)
- लिमिटेड ('सीडीएसएल') द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एफ) 23 जुलाई, 2024 (05:00 शाम आईएसटी ) के बाद प्राप्त पोस्टल बैलट फॉर्म को सख्ती से इस तरह माना जाएगा जैसे कि सदस्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

जी) कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 14 जून, 2024 को शेयर रखता है, वह अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालने के लिए www.evotingindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग अपना वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

निर्धारित अवधि के भीतर घोषित परिणाम, जांचकर्ता रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे तथा स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किए जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि यदि आपके पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्य्') तथा ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर: 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं अथवा www.evotingindia.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

> आयुष वेलनेस लिमिटेड के लिए बोर्ड के आदेश से (पूर्व में आयुष फूड एंड हर्ब्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

स्थानः मुंबई दिनांकः 19 जून, 2024 नवीनकुमार कुंजारू प्रबंध निदेशक डीनः 07087891



Capital and Liabilities	As on 31-03-2024	(Amount in Lakhs) As on 31-03-2023
Share Capital	461.68	496.06
Nominal Share Capital	1,631.99	1,520.44
Reserves and Surplus	41,382.58	39,108.84
Deposits	133,542.80	134,549.02
Borrowings		100 0000000
Other liabilities and provisions	5,930.32	5,961.99
TOTAL	182,949.37	181,636.35
Assets	32	- 55
Cash and balances with Reserve Bank of I	ndia 6,848.89	6,957.70
Balance with banks and money at call and		124500000
short notice	45,449.38	50,219.17
Investments	27,712.20	28,777.20
Advances	96,344.71	88,744.93
Fixed Assets	1,535.09	1,634.49
Other Assets	5.059.10	5,302,86
TOTAL	182,949.37	181,636.35
Contingent liabilities	76.10	78.68
Previous year's figures have been re-gr necessary.	ouped/ re-classified,	wherever considered

		(Amount in Lakhs)
I. Income	As on 31-03-2024	As on 31-03-2023
Interest earned	16,539.79	14,680.24
Other income	271.39	1,016,58
Total	16,811.18	15,696.82
II. Expenditure	2242254	
Interest expended	6,645.08	5,671.42
Operating expenses	7,292.92	7,311.01
Profit before Tax	2,873.18	2,714.39
Provisions for Income Tax Current Year	750.44	592.49
Total	14,688.44	13,574.92
III. Profit/Loss after Tax	2,122.74	2,121.90
Net profit/loss(-) for the year	2,122.74	2,121.90
Profit/loss(-) brought forward	156.50	156.50
Balance carried over to balance sheet	2,279.24	2,278.40

Previous year's figures have been re-grouped/ re-classified, wherever considered Sd/-

(DR. BIJENDER SINGH) PRESIDENT	(CH. SUKHBIR SINGH PANWAR) VICE PRESIDENT	(ANITA RAI		(NIDH) CHANDR A.G.M.
Highlights	of Bank's Wor	king	10250000	e: New Delh

Dated: 21.06.2024 Higher rate of interest on deposit and Lower lending rates than other Banks. Special Loan Scheme for the Govt. Employees, Current / Saving Account Holders, Business men, Students, Farmers, Professionals, Educational Institutions /Societies, Retail Traders, Village industries, etc.

 Credit Card facility for Farmers, Govt. Employees, Current Account Holders etc. SERVING WITH WIDE SPREAD NETWORK OF BRANCHES IN THE NCT OF DELHI



आईटीकॉन्स ई-सॉल्यूशन्स लिमिटेड सीआईएन : L72900DL2007PLC163427 पंजीकृत कार्यालय : रेगस एलिगेंस 2एफ, एलिगेंस जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ओल्ड मथुरा रोड,

दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110025 निगमित कार्यालय : तृतीय तल, बी–10, बजाज भवन, सेक्टर–3, जमना लाल बजाज मार्ग, नोएडा,

गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत, 201301

वेबसाइट: www.itconsinc.com, ईमेल आईडी: cs.pooja@itconsinc.com दूरभाष नं.: +91 120 4149563

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली कंपनी की असाधारण आम बैठक की सूचना

रतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") सोमवार, 15 जुलाई, 2024 को दोपहर 02.00 बजे (आईएसटी) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों ("अधिनियम"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई. 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 जुलाई, 2020 के साथ पिठत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी दिसंबर, 2022 के परिपत्र और 5 जनवरी, 2023 के सेबी परिपत्र (सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुसार आयोजित की जाएगी, जो कंपनी की ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए आयोजित होगी। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने और प्रतिभागिता कर सकेंगे। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103

के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी ने शुक्रवार, 21 जुन, 2024 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा ईजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी है, जिनके ईमेल पते शुक्रवार, 14 जून, 2024 तक डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास

ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.itconsinc.com से और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com से और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com से डाउनलोड की जा सकती है। रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम में ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 और आम बैठकों पर सचिवीय मानक के साथ अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, कंपनी ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी एनएसडीएल के माध्यम से ईजीएम ('ई–वोटिंग') के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।

ई—वोटिंग की कट—ऑफ तिथि	बुधवार, 10 जुलाई, 2024
रिमोट ई—वोटिंग का आरंभ	शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग का समापन	रविवार, 14 जुलाई, 2024 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी)
वे सदस्य जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम	में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट

नहीं डाला है, वे ईजीएम के दौरान वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने ईजीएम

से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। तदनुसार, सदस्यगण सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके रिमोट ई–वोटिंग और ईजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो उसे

बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। कंपनी ने मिस. अब्बास विठोरावाला (सदस्यता संख्या 23671) अभ्यासरत कंपनी सचिव को दरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया की निगरानी और ईजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग के लिये एक जांचकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा ईजीएम के समापन के दो कार्यकारी दिवसों के अंदर की जायेगी। घोषित परिणाम तथा जांचकर्ता की रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को सूचित की जाएगी तथा कंपनी की वेबसाइट www.itconsinc.com पर तथा कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड ("कैमियो") की वेबसाइट

www.cameoindia.com पर प्रदर्शित की जायेगी। सदस्यगण, एनएसडीएल के रिमोट ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके और सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में भाग ले सकेंगे। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का एक सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 10 जुलाई, 2024 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग

जपयोग कर सकता है। जिन सदस्यों को ईजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता होती है, वे evoting@nsdl.com पर मेल द्वारा एक अनरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सदस्यगण cameo@cameoindia.com पर एक मेल भेजकर कैमियो से भी संपर्क साध

के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपने विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ईजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेष रूप में ईजीएम में सिम्मिलित होने के निर्देशों, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रविधि अथव ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने की प्रविधि का अध्ययन करें। कृते आईटीकॉन्स ई-सॉल्यूशन्स लिमिटेड

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 21 जून, 2024

निदेशक मंडल के आदेशानुसार हस्ता. 🗸 -गौरव मित्तल प्रबंध निदेशक

डीआईएन-01205129

APRIGLOBAL

# कप्रा ग्लाबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**पंजीकत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय** : 502, टॉवर-ए, पेनिनसला बिजिनेस पार्क, सेनापित बापत मार्ग, लोअर परेल मुम्बई-400013 सर्किल कार्यालय पता : 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

प्रतिभृत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 (कथित अधिनियम) के तहत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में, अधिकृत प्राधिकारी ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित कर्जदार(रों) (''कथित कर्जदार(रों)'') को उन्हें जारी की गयी सम्बन्धित मांग सूचना(ओं) में उल्लिखित राशियों को अदा करने को कहते हुए उन्हें मांग सूचनाएं जारी की हैं जो नीचे दी गयी हैं। उपर्युक्त के सम्बन्ध में इस प्रकाशन के माध्यम से एतद्वारा कथित कर्जदार(रों) को इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे उल्लिखित राशियों तथा भुगतान एवं/अथवा वसुली की तिथि तक नीचे उल्लिखित तिथियों से भावी प्रयोज्य ब्याज जो कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों के साथ पठित ऋण अनुबन्ध के तहत देय हैं, अदा करने के लिए कहते हुए मांग सूचना दी जाती है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान की प्रतिभृति के रूप में निम्नलिखित आस्तियों को क्रमशः कथित कर्जदार(रों) द्वारा सीजीएचएफएल के पास बंधक रखा गया है:

क्र. सं.	1 1 1 1	माँग सूचना की तिथि तथा राशि	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या LNHLAGR000066763 (पुराना) 50300000628502 (नया) (आगरा शाखा) मोहम्मद असलम कुरैशी (कर्जदार) श्रीमती सनोवर बानो (सह-कर्जदार)	্চ. 2510163∕-	संपत्ति भूमि और भवन का समस्त भाग, एमएमआईजी हाउस नंबर 155, नगर निगम नंबर 18बी/155, क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर, शमशाबाद रोड हाउसिंग स्कीम, शहीद नगर, ताजगंज वार्ड, तहसील सदर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश – 282008 में स्थित, इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः एमएमआईजी फ्लैट नंबर 157, दक्षिणः एमएमआईजी फ्लैट नंबर 153, पूर्वः एमएमआईजी बिल्डिंग, पश्चिमः पथ और निकास 25 फीट चौड़ा

यदि उक्त कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार सीजीएचएफएल को भुगतान करने में असफल होंगे तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभृत आस्तियों के विरुद्ध लागतों तथा परिणामों के लिए कथित कर्जदारों के पुर्ण जोखिम पर कार्यवाही करेगा। कथित कर्जदारों को अधिनियम के उपर्युक्त आस्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्य माध्यम से सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कथित अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन का प्रयास करता है तो वह कथित अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार कैद तथा/अथवा जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

स्थान : आगरा तिथि : 22.06.2024 ह./- (अधिकृत प्राधिकारी) कृते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल

आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः डी-16, प्रथम तल, आईसीआईसीआई कंपनी के ऊपर, सेक्टर 14, प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085

अचल संपत्ति की बिक्री/नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित सरफैसी अधिनियम के तहत)

जबिक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'सरफैसी अधिनियम') के तहत आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (यहां बाद में ''कंपनी'' के रूप में संदर्भित) के अधिकृत प्राधिकारी ने और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानितयों से भुगतान की तिथि तक अनुबन्धदर पर भावी ब्याज एवं लागतों, प्रभारों एवं व्ययों आदि सहित सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की तिथिसे 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी की थी।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती के निर्दिष्ट अवधि में उक्त राशि को चुकाने में विफल रहने पर, अधिकृत प्राधिकारी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भौतिक कब्जा कर लिया है जिसकी बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के तहत कम्पनी के बकायों की वसूली के लिए नीचे नीलामी अनुसूची के अनुसार निविदाएं/संविदाएं आमंत्रित करके ''जहाँ है जैसे है'', ''जो कुछ भी है वहीं है'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर की जायेगी:

सम्पत्तियों का विवरण :

संपत्ति संख्या 134 और 135 की छत के अधिकार के बिना पूरी पहली मंजिल, पॉकेट 04, सेक्टर 22, रोहिणी, दिल्ली-110086

ज्ञात ऋण भार (यदि कोई हो)	उपलब्ध नहीं		
आरक्षित मूल्य (रुपये)	42,16,800/-		
जमा धरोहर राशि (रुपये में) प्रशांत विहार दिल्ली में देय 'आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डीडी र्पीओ के माध्यम से	4,21,680/-		
बोली वृद्धि राशि (गुणकों में)	50,000/-		
ईएमडी के साथ मुहरबंद प्रस्ताव⁄निविदा के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान	25.07.2024, 5:30 बजे अप., डी-16, पहली मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशांत विहार सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085		
बोलियां खोलने की तिथि, समय और स्थान	27.07.2024, 5:30 बजे अप., डी-16, पहली मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशांत विहार सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085		
संपत्तियों का निरीक्षण	23.07.2024, दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक		
निविदा⁄बोली सह नीलामी फार्म की लागत	निल		
असफल बोलीदाताओं की ईएमडी की वापसी	निल		
सफल बोलीदाता के लिए स्वीकृत उच्चतम बोली के 25% के भुगतान की अंतिम तिथि (ईएमडी सहित)	निविदा खुलने की तिथि से 2 दिनों के बाद		
उच्चतम बोली के शेष 75% राशि के भुगतान की अंतिम तिथि	उसी दिन		
ऋण का ी	ऋण का विवरण		

ऋण व	ा विवरण
कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता का नाम एवं पता	श्री संजीव कुमार, श्रीमती रीना और श्री हरीश निवासी, संपत्ति संख्या 134-135 की पहली मंजिल, पॉकेट-4, सेक्टर-22, रोहिणी, उत्तर-पश्चिम, दिल्ली-110085
सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि	06.06.2022
सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की राशि (रु. में)	31.05.2022 तक रु. 38,93,093/- (रुपये अड़तीस लाख तिरानबे हजार तिरानबे मात्र)
भौतिक कब्जे की तिथि	12.06.2024
बकाया देय (रु. में)	55,58,000 तिथि 12.06.2024 तक

संविदाकार को पूर्ण प्रस्ताव देना होगा।

बोलीदाताओं को एक सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित विवरण के साथ बोली फॉर्म जमा करना होगा, (i) व्यक्तिगत बोलीदाता/बोलीदाता कंपनी/बोलीदाता फर्म/बोलीदाता संगठन का पूरा नाम और विवरण (ii) पैन कार्ड की प्रति (iii) सक्रिय मोबाइल नम्बर (iv) ईमेल पता और (v) पते का प्रमाण। संबंधित केवाईसी दस्तावेजों और ईएमडी के साथ प्रस्तावों को एक लिफाफे में रखा जाएगा जिसे सील किया जाना चाहिए और उस पर ''श्री **संजीव कुमार एवं अन्य के मामले में प्रतिभूत आस्तियों⁄सम्पत्तियों की खरीद के लिए** मैसर्स आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से प्रस्ताव'' लिखना होगा और लिफाफे को सामान्य कार्य घंटों के दौरान प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय डी-16, पहली मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशांत विहार सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली-110085 में रखे गए

प्रत्येक निविदा/बोली/प्रस्ताव के साथ '**आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**' के पक्ष में दिल्ली में देय डी.डी./पे ऑर्डर के माध्यम से प्रस्ताव राशि के 10% की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) संलग्न करनी होगी। डी.डी./पी.ओ. निविदाकार/बोलीदाता की ओर से ही खरीदा जाना चाहिए।

नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाकार/बोलीदाता को उक्त संपत्ति के हस्तांतरण या उपयोग के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 194 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार, यदि संपत्ति 50 लाख से ऊपर बेची जाती है तो खरीदार को सरकारी खजाने में उचित टीडीएस देना होगा और टीडीएस प्रमाण पत्र कंपनी में जमा करना होगा। सफल बोलीदाता को उसके पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने पर बोली राशि का 25% (बोली के साथ जमा की गई 10% ईएमडी सहित) तुरंत

जमा करना होगा। भुगतान केवल दिल्ली में देय 'आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में आहरित कंपनी के चेक/डीडी के

यदि सफल बोलीदाता बोली राशि का 25% जमा करने में विफल रहता है, तो बिना किसी सूचना के कंपनी द्वारा अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। सफल बोलीदाता कंपनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष बोली राशि जमा कर देगा। भुगतान में चूक के मामले में, इस प्रकार जमा की गई पूरी राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी। ऐसे मामले में सफल बोलीदाता का संपत्ति के संबंध में या उस राशि के किसी भी हिस्से पर कोई दावा नहीं होगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता

है। कंपनी के पास सरफैसी नियम, 2002 के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से संपत्ति को बेचने का अधिकार भी सुरक्षित है। सभी पात्र बोलीदाताओं को इंटर-से बोली लगाने की अनुमति है। बोलीदाता(ओं) के बीच इंटर-से बोली के माध्यम से अपने प्रस्तावों में सधार कर सकते हैं। इंटर-से बोली उच्चतम बोली खोले जाने के समय शरू होगी। बोलीदाता 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के तहत उल्लिखित राशियों के गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन उच्चतम बोली राशि जमा करने वाले और/या इंटर-से बोली (आरक्षित मृल्य से कम नहीं) में विजयी बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और उक्त उच्चतम

बोलीदाता को इस आशय की सूचना जारी की जाएगी। 10. किसी भी राशि के भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में, या यदि क्रेता/बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर बिक्री पूरा न होने की स्थिति में, कंपनी को क्रेता/बोलीदाता द्वारा तब तक भुगतान किए गए सभी धन और प्रतिभूत आस्ति(यों)/संपत्ति(यों) को जब्त करने और अपने पूर्ण विवेक से दुबारा बिक्री/निपटान के लिए रखने और साथ ही दूसरे उच्चतम बोलीदाता को पुनर्विक्रय/प्रस्ताव देने का अधिकार होगा। इसके अलावा, इस तरह के पुनर्विक्रय के कारण कंपनी द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों को चूककर्ता क्रेता द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। कंपनी के पास पूर्वोक्त समय सीमा को बढ़ाने और पूरी तरह से अपने

विवेक पर और ऐसे नियमों और शर्तों को निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है। 11. निविदाएं/बोलियां कंपनी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर्जदारों, सह-कर्जदारों, गिरवीकर्ताओं (यदि उपलब्ध हो) और संभावित खरीदारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ, बातचीत के लिए, प्रस्ताव के बढ़ाने/संशोधित करने के लिए पूर्वोक्त दिन और समय पर उपस्थित रहने का विकल्प चुन सकते हैं।

12. बिक्री के लिए प्रस्तुत अचल संपत्ति(यों)/प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद/मतभेद केवल दिल्ली में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

13. आरक्षित मृल्य से नीचे की निविदाएं/बोली और/या उपयुक्त ईएमडी तथा अन्य सभी दस्तावेज, जैसा कि ऊपर खंड 2 में उल्लिखित है, के संलग्न न होने पर इसे अमान्य माना जाएगा। हालांकि, प्राधिकत अधिकारी अपने विवेकाधिकार पर, ऐसी सभी या ऐसी किसी भी निविदा/बोली को वैध मानने का अधिकार सुरक्षित रखता है। असफल निविदाकारों/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि नीलामी की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। निविदाकार/बोलीदाता किसी भी कारण से ईएमडी की राशि में देरी होने पर किसी भी ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

14. कंपनी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, कोई अन्य ऋणभार नहीं है। संपत्ति कर आदि जैसे सांविधिक बकाया संभावित क्रेताओं

15. प्रतिभृत आस्ति(यों)/संपत्ति(यों) को ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'', ''जो कुछ भी है वहीं है'' और ''आश्रय रहित'' आधार पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी बिक्री के लिए प्रस्तावित प्रतिभृत आस्ति/अचल संपत्ति के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण के बकाया जल/सेवा शल्क, हस्तांतरण शल्क, बिजली बकाया, बकाया राशि सहित किसी भी देय/शल्क के संबंध में कोई अनमति/लाइसेंस आदि प्राप्त करने और/या कोई उक्त अचल प्रतिभूत आस्ति/यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के परिप्रेक्ष्य में अन्य देय, कर, ऋणभार, यदि कोई हो, का उपक्रम नहीं करती है।

16. निविदाकारों/बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि निविदाएं/बोली जमा करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अपनी संतष्टि के लिए वे अपने हित में अचल प्रतिभृत संपत्तियों से संबंधित अन्य विवरणों के शीर्षक और शुद्धता के साथ खुद को संतृष्ट करने के लिए अचल मृहरबंद आस्ति के आकार/क्षेत्र के साथ-साथ किसी भी अन्य बकाया/देयताओं/ऋणभारों की जानकारी प्राप्त कर लें। निविदा खोलने/नीलामी आयोजित करते समय इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। प्रस्ताव)/निविदा(एं) जिनका प्रस्ताव प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, कोई परिवेदना/शिकायत नहीं उठाएंगे और अधिकृत अधिकारी द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद, आकार/क्षेत्र में विसंगति, स्वामित्व में दोष या किसी अन्य आधार पर प्रस्ताव वापस लेने की अनमति नहीं दी जाएगी। निवदा/बोली के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद, ऐसे सफल क्रेता/उसके नामांकित व्यक्ति को अचल संपत्तियों/प्रतिभृत आस्तियों की बिक्री के सभी नियमों और शर्तों को बिना शर्त स्वीकार किया गया माना जाएगा और ऐसी अचल संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व, विवरण, माप आदि के बारे में सभी आपत्तियों को समाप्त कर दिया जाएगा।

17.) सशर्त प्रस्तावों वाली निविदाएं/बोली अमान्य मानी जाएंगी। प्रस्तावों में किसी भी परिवर्तन के बारे में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई निविदाकार/बोलीदाता संबंधित विज्ञापन में निविदाओं/बोलियों को जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले विज्ञापित प्रतिभृत आस्ति/अचल संपत्ति के लिए नया प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो वे पहले जमा किए गए प्रस्ताव के आहरण के अध्यधीन उपयुक्त ईएमडी के साथ नई निविदा/बोली कर सकते हैं।

18. क्रेता को अपने नाम पर प्रतिभृत आस्ति/अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए सभी आवश्यक खर्च जैसे स्टांप शुल्क, पंजीकरण खर्च, हस्तांतरण शुल्क और अन्य शुल्क आदि का वहन करना होगा।

19. कंपनी बिना कोई कारण बताए उच्चतम, किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सरक्षित रखती है और यदि सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो या तो किसी भी निविदाकर्ता/बोलीदाताओं के साथ बातचीत करने या प्रतिभृत आस्ति(यों)/अचल संपत्ति किसी भी निविदाकर्ता/बोलीदाता या किसी अन्य पार्टी/पार्टियों के साथ निजी बातचीत के माध्यम से बेचने का अधिकार सरक्षित रखती है। इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा।

20. कंपनी बोलीदाताओं/निविदाकारों को कोई अन्य नोटिस दिए बिना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में आवश्यकतानुसार अपने विवेकाधिकार पर उपरोक्त शर्तों में से किसी में भी संशोधन/परिवर्द्धन/हटाने के लिए स्वतंत्र होगी और निविदाकारों/बोलीदाताओं को ऐसी संशोधित शर्तों को स्वीकार करने वाला माना जाएगा और तदनसार वह इसे मानने के लिए बाध्य होगा। 21. कंपनी प्रतिभृत आस्तियों के परिप्रेक्ष्य में किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार के लिए स्वामित्व, संपत्ति कर या सरकार अथवा किसी

22. यह बिक्री कम्पनी की पृष्टि के अध्यधीन है। 23. सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु इच्छुक संविदाकार कम्पनी के अधिकारी श्री किशन (मोबाइल 9958406782) से 12.00 बजे अप. से 3.00

बजे अप. तक कार्यालय घंटों के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं। बोलियां हस्तान्तरणीय नहीं हैं। हस्ता/- (अधिकत प्राधिकारी), आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड तिथि : 22.06.2024, स्थान : दिल्ली,

अन्य निकाय के किसी अन्य बकायों में वास्तविकता/बाजार की क्षमता का पता लगाने जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगी।

www.readwhere.com